HI-TECH PIPES

+91-11-48440050
info@hitechpipes.in
hitechpipes.in

To
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex – Bandra (E),
Mumbai – 400051

September 2, 2020

NSE Symbol: HITECH

Sub: Newspaper Publication

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 and other applicable regulation of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the Newspaper publication of Notice of AGM, published on September 02, 2020 in the English and Hindi Edition of Business Standard (Delhi).

Kindly take these on records and oblige.

Yours Truly,
for **HI TECH PIPES LIMITED**

For HI-TECH PIPES LTD.
Company Secretary

Arun Kumar
Company Secretary&
Compliance Officer

Encl: A/a

HI-TECH PIPES LIMITED

Regd. Office: 505, Pearls Omaxe Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi 110034
CIN: L27202DL1985PLC019750, www.hitechpipes.in, info@hitechpipes.in, 011-48440050

NOTICE OF 36TH AGM, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

1. NOTICE is hereby given that the 36th Annual General Meeting of the members of the Company will be held on Saturday, 26th day of September, 2020 at 11:00 A.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set forth in the Notice of the meeting.
2. In compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, and General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI Circular dated May 12, 2020, the Company has e-mailed the Notice of the 36th AGM along with the Annual Report for the FY 2019-20 on Monday, 31st August, 2020 through electronic mode only, to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Company Registrar & Transfer Agent or Depository Participant. The requirement of sending physical copies of the Annual Report has been dispensed with.
3. The Annual Report for the FY 2019-20 and the Notice of the 36th AGM has also been available on the website of the Company www.hitechpipes.in and on the website of National Stock Exchange of India Limited www.nse.com
4. Notice is also given that pursuant to the section 91 of the Companies Act, 2013 ("The Act") and the rules framed thereunder, as amended from time to time, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remained closed from Sunday, 20th September, 2020 to Saturday, 26th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM.
5. In compliance to the provisions of section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meeting (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the Company is providing the members the facility to exercise their right to vote at the 36th AGM by electronic means only before the AGM and during the proceedings of the AGM in respect of the businesses to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has availed the services of CDSL.
6. The detailed instructions for the e-voting are given in the Notice of the AGM, Members are requested to note the following:
   - The Remote e-voting shall be commencing on Wednesday, 23rd September, 2020 at 9:00 a.m. and shall end on Friday, 25th September, 2020 at 5:00 p.m. The e-voting module shall be disabled by CDSL for the voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time.
   - The voting rights of the Members (for remote e-voting or voting at the venue during the AGM) shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the company as on Saturday, 19th September, 2020 ("Cut-Off Date"). A person whose name is recorded in the Register of members or in the Register of Beneficial Owner maintained with the Depository as on the Cut-Off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as the voting during the AGM.
   - Any person, who acquires the shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of AGM Notice and holds shares as on the Cut-Off date i.e. Saturday, 19th September, 2020 may obtained the login Id and password by following the procedure given in the Notice of the AGM. However If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.
   - Facility of voting through electronic voting system shall also be made available during the preceding of AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM, who have not casted their vote by remote e-voting, shall be able to exercise their right during the AGM.
   - Members who have already casted their vote by remote e-voting prior to the AGM, will be eligible to participate at the AGM but shall not be entitled to cast their vote again on such resolution(s).

For any any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

7. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Dividend at the rate of 2.5% i.e 25 paisa per equity share for the Financial Year ended March 31st, 2020, if approved, shall be paid to the members whose names appears as beneficial owner as at the closure of Business Hours on Saturday September 19th, 2020 (Record date).
8. The Board has appointed M/s NSP & Associates, Practicing Company Secretary as Scrutinizer for scrutinizing the remote e-voting process and the voting during the AGM, in the fair and transparent manner.
9. The results of the remote e-voting and votes cast during the AGM shall be declared not later than 48 hours from the conclusion of the AGM. The results declared, along with the Scrutinizer Report, shall be placed on the Company's website www.hitechpipes.in and will be communicated to the National Stock Exchange of India Ltd. and be available on their website www.nse.com

By Order of the Board
For Hi-Tech Pipes Limited
Sd/-
Arun Kumar
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 01.09.2020

स्तर तक पहुंच गई। बिक्री को मुख्य तौर पर अटकी हुई मांग से रफ्तार मिली। इसके अलावा त्योहारी सीजन से पहले इन्वेंटरी बढ़ाने की कवायद से फैक्टरियों से वाहनों

दर्ज की गई। कंपनी ने अगस्त में 45,809 वाहनों की बिक्री की जो एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 20 फीसदी अधिक है।

में ट्रैक्टर की कुल बिक्री करीब 70 फीसदी बढ़ी होगी। उन्होंने कहा कि किसानों की अवधारणा सही है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सकारात्मक है और नकदी प्रवाह अच्छा है। उनका अनुमान है कि पूरे साल के लिए बढ़त की रफ्तार सात से 10 फीसदी होगी।

एस्कॉर्ट्स और महिंद्रा ने अगस्त 2020 में क्रमशः 80 फीसदी व 69 फीसदी की बढ़त दर्ज की है, वहीं सोनालिका 80 फीसदी से ज्यादा।

एस्कॉर्ट्स की देसी बिक्री 79.4 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 6,750 वाहन रही, वहीं निर्यात 90.4 फीसदी बढ़कर 518 वाहन पर पहुंच गया। माह दर माह वॉल्यूम 36.6 फीसदी बढ़ा। कंपनी ने कहा कि अगस्त की बिक्री अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री है। अच्छे मॉनसून आदि के कारण बाजार की अवधारणा काफी ज्यादा सकारात्मक बनी हुई है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि आगामी त्योहारी महीनों के लिए हम आशावान बने हुए हैं।

महिंद्रा ऐंड महिंद्रा लिमिटेड के फार्म इक्विपमेंट सेक्टर की देसी बिक्री अगस्त में 69 फीसदी बढ़कर 23,503 वाहन पर पहुंच गई। देसी व निर्यात को जोड़ दें तो अगस्त में कुल बिक्री 24,458 वाहन रही। कंपनी के अध्यक्ष (फार्म इक्विपमेंट सेक्टर) हमंत सिक्का ने कहा, जुलाई में अब तक की सर्वोच्च बिक्री के बाद एक बार फिर कंपनी ने अगस्त में सबसे ज्यादा बिक्री की। सोनालिका ट्रैक्टर ने अगस्त में अब तक की सबसे बड़ी बढ़त 80 फीसदी दर्ज की और उसकी कुल बिक्री 8,205 ट्रैक्टर रही।

HI-TECH PIPES

हाई–टेक पाइप्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः 505, पर्ल्स ओमेक्स टॉवर, नेताजी सुभाष पैलेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली 110034
CIN: L27202DL1985PLC019750, www.hitechpipes.in, info@hitechpipes.in; 011-48440050

एजीएम की सूचना, ई–वोटिंग जानकारी और बुक क्लोजर

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैठक की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए कंपनी के सदस्यों की 36वीं वार्षिक आम बैठक शनिवार, 26 सितम्बर, 2020 को प्रातः 11.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों ("ओएवीएम") के द्वारा आयोजित की जाएगी।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 तथा सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 एवं अन्य लागू परिपत्रों और सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 के अनुपालन में कंपनी ने वित्त वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ 36वीं एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को ई–मेल कर दी है जिनके ई–मेल पते कंपनी/कंपनी रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट या डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत हैं। वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।
3. वित्त वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और 36वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.hitechpipes.in और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nse.com पर भी उपलब्ध है।
4. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 ("अधिनियम") और उसके अधीन बनाए गए नियमों, समय–समय पर यथासंशोधित के अनुसरण में कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक रविवार, 20 सितम्बर, 2020 से शनिवार, 26 सितम्बर, 2020 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।
5. अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, समय–समय पर यथासंशोधित, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी आम बैठक (एसएस–2) पर सचिवीय मानक और सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015, समय–समय पर यथासंशोधित के अनुपालन में कंपनी सदस्यों को एजीएम में निष्पादित किये जाने वाले व्यवसाय के संबंध में एजीएम से पूर्व केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और एजीएम की कार्यवाही के दौरान 36वीं एजीएम में अपना वोट देने की सुविधा उपलब्ध करा रही है और इस प्रयोजन के लिए कंपनी ने सीडीएसएल की सेवाएं ली हैं।
6. ई–वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश एजीएम की सूचना में दिये गये हैं। सदस्यों से निम्नलिखित को नोट करने का अनुरोध किया जाता है:
   - रिमोट ई–वोटिंग बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 को प्रातः 9.00 बजे प्रारंभ होगी और शुक्रवार, 25 सितम्बर, 2020 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के बाद सीडीएसएल द्वारा ई–वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा और सदस्यों को कथित तिथि एवं समय के बाद इलेक्ट्रॉनिकली वोट देने की अनुमति नहीं होगी।
   - सदस्यों का वोटिंग अधिकार (रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम के दौरान वोटिंग) शनिवार, 19 सितम्बर, 2020 ("कट–ऑफ तिथि") को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयर के आनुपातिक होगा। ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा तैयार की गई लाभार्थी स्वामियों की सूची में शामिल होगा, केवल वे ही रिमोट ई–वोटिंग के साथ ही एजीएम के दौरान वोटिंग की सुविधा के हकदार होंगे।
   - ऐसा व्यक्ति जो कंपनी के शेयर अधिगृहित करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट–ऑफ तिथि अर्थात् शनिवार, 19 सितम्बर, 2020 को शेयर धारण करता है, वह एजीएम की सूचना में दी गई प्रक्रिया का पालन करके लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि आपने डिमेट प्रारूप में शेयर धारण किये हैं और आपने पर लॉग किया था और किसी कंपनी में पूर्व में ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया था तो आप अपने वर्तमान पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
   - एजीएम की कार्यवाही के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं दिया है, वे एजीएम के दौरान अपना वोट देने के पात्र होंगे।
   - सदस्यगण जिन्होंने एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे दिया है, वे भी एजीएम में भाग लेने के लिए योग्य हैं, लेकिन उन्हें ऐसे प्रस्तावों पर अपना वोट दोबारा देने की अनुमति नहीं होगी।

ई–वोटिंग के संबंध में किसी भी पूछताछ या परेशानी के लिए आप www.evotingindia.com के हेल्प सेक्शन पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") और ई–वोटिंग मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या ई–मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर लिख सकते हैं।

7. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 2.5 प्रतिशत की दर पर लाभांश अर्थात् 25 पैसे प्रति इक्विटी शेयर, यदि अनुमोदित किया गया है तो, उन सदस्यों को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम शनिवार, 19 सितम्बर, 2020 (रिकार्ड तिथि) को व्यवसाय घंटों की समाप्ति पर लाभार्थी स्वामियों के रूप में शामिल होंगे।
8. बोर्ड ने रिमोट ई–वोटिंग एंव एजीएम के दौरान वोटिंग की प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए मैसर्स एनएसपी एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव को समीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।
9. रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम के दौरान वोटिंग का परिणाम एजीएम की समाप्ति से 48 घंटों के भीतर घोषित किया जाएगा। समीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित किये गये परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.hitechpipes.in पर उपलब्ध होंगे और इसके बारे में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को सूचित किया जाएगा तथा परिणाम उनकी वेबसाइट www.nse.com पर भी उपलब्ध होंगे।

बोर्ड के आदेश से
कृते हाई–टेक पाइप्स लिमिटेड
हस्ता./–
अरूण कुमार
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 01.09.2020

फ्यूचर फर्म के डिफॉल्ट से फ्रैंकलिन की योजना को झटका

बीएस संवाददाता
मुंबई, 1 सितंबर

फ्यूचर समूह की इकाई रिवाज ट्रेड वेंचर्स ने कर्ज पुनर्भुगतान में चूक की, जिससे फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्युचुअल फंड की चार योजनाओं पर असर पड़ा। इन चारों योजनाओं में से एक इनकम ऑपरच्युनिटीज फंड का रिवाज ट्रेड वेंचर्स की ऋण प्रतिभूतियों में काफी ज्यादा निवेश है। इसके जरिए योजना का कुल परिसंपत्ति का 6.32 फीसदी निवेश किया गया है। उसके बाद शॉर्ट टर्म इनकम प्लान की परिसंपत्ति का 5.02 फीसंदी, इंडिया डायनेमिक एक्रुअल फंड का 3.02 फीसदी और क्रेडिट रिस्क फंड का 0.33 फीसदी हिस्सा उसमें निवेशित है। चारों योजनाएं अप्रैल में फंड हाउस की तरफ से बंद की गई छह योजनाओं का एक हिस्सा है।

फंड हाउस ने निवेशकों को भेजे नोट में कहा है, भुगतान में चूक के कारण रिवाज ट्रेड वेंचर्स की प्रतिभूतियों का मूल्य शून्य होगा और इसका आधार एम्फी का मानक है। उसके मुताबिक, यह 31 अगस्त 2020 के एनएवी में प्रतिबिंबित होगा। यह मूल्यांकन सिर्फ वसूली जाने वाली रकम को प्रतिबिंबित करता है और रिवाज ट्रेड की तरफ से योजनाओं को किए जाने वाले पुनर्भुगतान में किसी तरह की कटौती या बट्टे खाते में डाले जाने को प्रतिबिंबित नहीं करता।